आवेदन क्रमांक

आवेदन मूल्य रू. – 500.00

# जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर

## जबलपुर शहर में
## सॉची दूध एवं दुग्ध पदार्थ के विक्रय हेतु
## सुपरस्टाकिस्ट/सहपरिवहनकर्ता
## नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रण

### ई–निविदा आवेदन प्रपत्र

वर्ष 2020 – 2021


जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर

करौंदानाला, इमलिया, कटनी रोड़, जबलपुर

**Phone : 9406900500, 8305225339**

**Email – Jabalpur.sanchi@gmail.com**

# जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

करौंदा नाला इमालिया आधारताल जबलपुर

## सुपरस्टाकिस्ट (सॉची दूध एवं दुग्ध पदार्थ) एजेन्सी आवंटन हेतु

## (( आवेदन पत्र ))

| | | |
|---|---|---|
| (1) | ई–निविदा प्रपत्र क्रय एवं जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय। | ▪ 28/12/2020 दोप 01.00 बजे तक। |
| (2) | तकनीकी विड खोलने की तिथि व समय | ▪ 28/12/2020 दोप. 03.00 बजे तक। |
| (3) | वित्तीय विड खोलने की तिथि एवं समय। | ▪ 30/12/2020 दोप. 03.00 बजे। |
| (4) | निविदा के साथ जमा की की जाने वाली अमानत राशि। | ▪ रू. 1,00,000/- (अक्षरी रू. एक लाख मात्र) |
| (5) | सुपर स्टाकिस्ट हेतु तकनीकी अर्हताओं का प्रारूप। | ▪ प्रपत्र 01 |
| (6) | सुपर स्टाकिस्ट की सामान्य शर्ते। | ▪ प्रपत्र 02 |
| (7) | सामान्य जानकारी आवेदन पत्र | ▪ प्रपत्र 03 |
| (8) | विपणन मार्ग की जानकारी | ▪ प्रपत्र 04 |
| (9) | "भाव पत्र/दरे" प्रस्तुत करने का प्रारूप। (ऑन लाईन) | ▪ प्रपत्र 05 |

(तकनीकी अर्हतायें)
प्रपत्र . 01

प्रति, मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जबलपुर सह.दुग्ध संघ मर्या.
जबलपुर

विषय :– साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ सुपरस्टाकिस्ट हेतु आवेदन पत्र।

महोदय,

साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ सुपरस्टाकिस्ट हेतु दिनांक ............... को ...................... समाचार पत्र मे प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ मे निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र मे वर्णित समस्त शर्ते एवं निर्देश पढ कर समझ लिये गये है। यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मै आपके द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ।

—=0 तकनीकी अर्हतायें 0=—

| क्र. | आवश्यक आर्हता | विवरण |
|---|---|---|
| 1. | आवेदक का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा मे पंजीयन का प्रमाण ऑन लाईन प्रस्तुत करें) | |
| 2. | यदि कोई पार्टनर हो तो उनका नाम व पता। | |
| 3. | संस्था/फर्म होने की दशा मे अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम। | |
| 4. | निविदाकर्ता का आधार नम्बर होना अनिवार्य है। (ऑन लाईन प्रस्तुत करें) | |
| 5. | पान नम्बर (ऑन लाईन प्रस्तुत करें) | |
| 6. | दूध वितरण कार्य हेतु उपलब्ध वाहनो के प्रकार एवं नया वाहन खरीदने की दशा में शपथपत्र प्रस्तुत करें। (विवरण ऑन लाईन प्रस्तुत करें) | |
| 7. | खाद्य एवं सुरक्षा का लाईसेंस नम्बर | |
| 8. | इनकम टेक्स रिर्टन वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 की पावती (विवरण ऑन लाईन प्रस्तुत करें) | |
| 9. | आवेदनकर्ता के विरूद्ध किसी प्रकार का न्यायालयीन प्रकरण नहीं हो जिसका सत्यापन निकटम पुलिस थाने से बनाना अनिवार्य है।<br>(विवरण ऑन लाईन प्रस्तुत करें) | |
| 10. | एफएमसीजी (FMCG) का अनुभव न्यूनतम 3 वर्ष होना आवश्यक है। (विवरण ऑन लाईन प्रस्तुत करें) | |
| 11. | निविदाकर्ता को GST नम्बर ऑन लाईन प्रस्तुत करना अनिवार्य है। | |

नोट – उपरोक्त दर्शित बिन्दुओं से संबंधित जानकारी/प्रमाणक ऑन लाईन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

हस्ताक्षर – – – – – – – – – – –
नाम – – – – – – – – – – –
पता – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – –
दूरभाष/मोबाईल नम्बर – – – – – – – – – – –

(समान्य शर्ते)
प्रपत्र क्रमांक – 02

# जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर

## *सॉची दूध एवं दुग्ध पदार्थ सुपरस्टाकिस्ट निविदा हेतु आवश्यक शर्ते*

1) आवेदनकर्ता को चाहे गए समस्त दस्तावेज ऑन–लाईन अपलोड करना अनिवार्य है।

2) आवेदक को ऑन लाईन राशि रू. रूपये 1,00,000/- (अक्षरी रूपये एक लाख मात्र) अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। अर्नेस्ट मनी जमा न करने की स्थिति में आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा, तथा ऐसे आवेदन स्वतः निरस्त माने जावेगें।

3) नियुक्ती पश्चात सुपरस्टाकिस्ट को संघ मे प्रतिभूति राशि पेटे रूपये **2.0 लाख** नगद एवं **8.0 लाख** की बैंक ग्यारंटी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगी।

4) सुपरस्टाकिस्ट के माध्यम से विक्रीत दूध पर 30 पैसे प्रतिलीटर सुपरस्टाकिस्ट मार्जिन, 50 पैसे वितरक मार्जिन तथा 2.50 रू. प्रतिलीटर विक्रेता मार्जिन कुल राशि रू. 3.30 प्रतिलीटर कम से बिलिंग किया जावेगा।

5) सुपरस्टाकिस्ट के द्वारा किये जाने वाले कार्य निम्नानुसार रहेगें :–

- सुपरस्टाकिस्ट को सॉची दूध एवं दुग्ध पदार्थ की प्रदायगी वितरण डाक, दुग्ध संयंत्र जबलपुर से की जावेगी।
- सुपरस्टाकिस्ट को तापरोधी वाहन संचालित करना होगा।
- सुपरस्टाकिस्ट को भरी एवं खाली क्रेटों का हिसाब रखना होगा एवं संघ को प्रत्येक माह मिलान हेतु हिसाब प्रस्तुत करना होगा।
- सुपरस्टाकिस्ट को सॉची दूध की वेरियंट अनुसार मांग एकत्रित कर, गणना कर निर्धारित समय पर लिखित में अथवा ई–मेल द्वारा प्रतिदिन दुग्ध संयंत्र को देना होगी।
- सुपरस्टाकिस्ट के पर्यवेक्षक/वाहन चालक, वाहनों में हो रहे दूध लोडिंग के पूर्व यह सुनिश्चित् करेगें कि दूध हर तरह से अर्थात गुणवत्ता, शीतलीकृत तापमान, लीकेज, वजन, क्रेट में निर्धारित संख्या पैकेट आदि से अच्छा है, इसके पश्चात् संघ किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं रहेगा। इस हेतु यह आवश्यक होगा की सुपरस्टाकिस्ट अपने पर्यवेक्षक के नाम मय फोटो I.D. प्रुफ के संघ में जमा करावेगा ताकि उनकी अनुपस्थिति रिकार्ड संघ मे रखा जा सके। पर्यवेक्षकों की उनुपस्थिति के विरूद्ध प्रबन्ध द्वारा निर्धारित पैनल्टी लगाने का अधिकार संघ के पास सुरक्षित रहेगा।
- सुपरस्टाकिस्ट द्वारा दूध विक्रय की अग्रीम राशि NEFT/RTGS के माध्यम से प्रतिदिन दोपहर 3:00 बजे तक संघ खाते मे जमा करना अनिवार्य होगा। राशि जमा नहीं होने पर दूध प्रदाय करना संभव नहीं होगा। पांच बार राशि जमा नहीं होने पर दूध प्रदाय बाधित होता है तो सुपरस्टाकिस्ट की सेवाऐं समाप्त की जा सकेगी। यदि कण्डिका की शर्त अनुसार भुगतान प्राप्त नहीं होता है तो ब्याज एवं पैनल्टी लगाई जावेगी।
- सुपरस्टाकिस्ट द्वारा उठायी गई दूध मात्रा की नियत राशि संघ द्वारा वसूल की जा सके इस हेतु **जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर** के नाम अकाउण्ट–पे रेखाकिंत पांच चैक अग्रिम में संघ को देना होगा। जिसका विशेष परिस्थितियों मे संघ द्वारा उपयोग किया जा सकेगा।

6) यह कि अनुबंधित अवधि मे डीज़ल की दरो मे जो वृद्धि/कमी होगी उसके अनुसार सुपरस्टाकिस्ट वितरक सह–परिवहनकर्ता की दरो मे भी वृद्धि/कमी अनुपातिक दर से की ज़ा सकेंगी।

7) संस्थाओं को प्रदाय दूध पर सिर्फ परिवहन व्यय का भुगतान किया जावेगा.।

8) निविदाकार के पास ळैज नम्बर उपलब्ध हो तो ऑनलाईन प्रस्तुत करें अन्यथा कार्य आवंटन के पूर्व अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

9) सुपरस्टाकिस्ट द्वारा भेजा जाने वाला वाहन यदि रास्ते में खराब होता है तो सुपरस्टाकिस्ट का प्रमुख दायित्व रहेगा कि तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करेगा।

10) सुपरस्टाकिस्ट द्वारा नियुक्त अधिकृत वितरकों/विक्रेताओं को दिये जाने वाले मार्जिन एवं परिवहन व्यय का भुगतान सुपरस्टाकिस्ट के माध्यम से किया जावेगा एवं भुगतान का रिकार्ड सुपरस्टाकिस्ट को रखना होगा एवं सत्यापन हेतु संघ को प्रस्तुत करना होगा। प्रस्तुत नहीं होने पर आगामी माह में मार्जिन का भुगतान नहीं होगा।सुपरस्टाकिस्ट वितरक को सम्पूर्ण क्षेत्र में किन्ही विपरित परिस्थिति जैसे शहर बंद, कर्फ्यू, निजी

दूध व्यवसायियों की उपभोक्ताओं को दूध प्रदाय नहीं करने संबंधी हड़ताल आदि अवसरों पर दूध का प्रदाय अपनी जिम्मेदारी पर अनिवार्य रूप से करना होगा।

11) FMCG (Fast Moving consumer goods वितरण का अनुभव होना चाहिए, दूध व्यवसाय करने वालें को प्रथमिकता दी जावेगी।

12) शासन द्वारा निर्धारित वर्गवार (अजा, अजजा, पि. वर्ग, सामान्य) आवंटन अनुसार एवं विकलांक आवेदनकताओं को प्राथमिकता दी जावेगी, जिस हेतु प्रमाण–पत्र आन–लाईन प्रस्तुत करना होगा।

13) सुपरस्टाकिस्ट को संघ द्वारा निर्धारित सम्पूर्ण क्षेत्र में सॉची दूध एवं दुग्ध पदार्थ के व्यवस्थित वितरण हेतु व्यवस्था करना होगी साथ ही वितरण कार्य में लगाये जाने वाले क्षेत्रीय वितरण वाहन (2016 या उसके बाद के मॉडल) तापरोधी होकर चारों ओर से बन्द (लोडिंगअनलोडिंग हेतु एक ओर दरवाजा हो एवं पर्याप्त प्रकाश) की व्यवस्था भी करना होगी। इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज जैसे :– वाहन किराया, अनुबंध रजिस्ट्री आदि तथा वाहन रजिस्ट्रेशन भी जमा करवाने होगें।

14) सुपरस्टाकिस्ट को दूध प्रदाय करते समय उसकी जॉच–परख हर दृष्टि से सुनिश्चित् कर लेना होगा। प्रदाय होने पश्चात् किसी भी प्रकार लीकेज/कम मात्रा, क्रेट आदि की जिम्मेदारी सुपरस्टाकिस्ट की रहेगी।

15) दुग्ध पदार्थो सुपरस्टॉक्स्टि को दुग्घ संघ द्वारा निर्धारित दर संरचना अनुसार प्रदाय किए जायेगे।

16) सुपरस्टाकिस्ट को संघ की निर्धारित शर्तों अनुसार **रूपये** 1000/- के नान ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। यह कि प्रथमपक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को केवल सॉची दूध एवं दुग्ध पदार्थ वितरण/विक्रय हेतु आवंटित क्षेत्रों हेतु पूर्णतः अस्थाई रूप से 3 वर्ष की अवधि हेतु सुपरस्टाकिस्ट नियुक्त किया गया है तत्पश्चात कार्य, वित्तीय व्यवहार, लक्ष्य पूर्ति संतोषजनक होने पर एक वर्ष तक वृद्धि की जा सकेगी।

17) नियुक्ती उपरांत सुपरस्टॉक्स्टि को शहर में एक सप्लाई डिपो की स्थापना करनी होगी ताकि आकस्मिक माँग की पूर्ति हो सके।

18) संघ से क्रय की गई दूध मात्रा की राशि NEFT/RTGS के माध्यम से संघ खाते में प्रतिदिन जमा करवानी होगी। बैंक अवकाश के दिनों में भी ऑन लाईन राशि दुग्ध संघ के खाते में हस्तातंरण कराना अनिवार्य है।

19) सुपरस्टाकिस्ट की नियुक्ति पश्चात समस्त संचालित वाहनों पर ब्राण्डिंग संघ द्वारा दी गई डिजाईन अनुसार आपकों अपने व्यय पर कराना होगी।

20) निविदा प्रपत्र के साथ आपके विरूद्ध किसी प्रकार का न्यायालयीन प्रकरण नहीं हो, जिसका सत्यापन निकटतम पुलिस थाने से बनाकर प्रस्तुत करें।

21) किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर को होगा।

22) प्राप्त आवेदन की समीक्षा गठित चयन समिति के द्वारा की जावेगी, एवं चयन प्रक्रिया के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं समस्त आवेदकों पर बंधनकारी होगा।

23) आवेदन स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य नहीं करने पर आवेदनकर्ता की अर्नेस्ट मनी राजसात करने का निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।

24) निविदा ऑफर को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., जबलपुर के पास सुरक्षित रहेगा।

25) सुपरस्टाकिस्ट उपभोक्ताओं को MRP पर ही सॉची दूध विक्रय कराया जाना सुनिश्चित करेगें। MRP से अधिक विक्रय होने पर वैधानिक कार्यवाही के लिए सुपरस्टाकिस्ट/वितरक/रिटेलर जिम्मेदार होगें।

26) दुग्ध पदार्थ सुपरस्टॉक्स्टि को दुग्घ संघ द्वारा निर्धारित दर संरचना अनुसार प्रदाय किए जायेगे।

27) कार्य अवधी 3 वर्ष के लिये होगी जिसे कार्य संतुष्ट होने पर एक एक वर्ष कर के दो वर्षो तक बढाया जा सकता है।

28) किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा। न्यायिक प्रकरण की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र, जबलपुर रहेगा।

मेरे द्वारा सॉची दूध एवं दुग्ध पदार्थ सुपरस्टाकिस्ट हेतु आवेदन एवं उसकी समस्त शर्तें पढ़ व समझ ली है तथा मै सभी शर्तों को मानने के लिये सहज तैयार हूँ/है। आवेदन में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है यदि मेरे द्वारा आवेदन में प्रस्तुत जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मैं बिन्दु क्रमांक 01 से 28 तक वर्णित शर्तों एवं निर्देशन का पालन नहीं करता हूँ एवं मेरी अर्नेस्ट मनी राजसात करने का प्रबन्ध द्वारा निर्णय किया जाता है तो मैं इस हेतु अपनी सहमति देता हूँ।

**नाम** – ...................................................................... **हस्ताक्षर**

# सामान्य जानकारी

**आवदेन प्रपत्र . 03**

❖ सॉची दूध एवं दुग्ध पदार्थ सुपरस्टाकिस्ट सह–परिवहनकर्ता हेतु ❖
ई–निविदा प्रपत्र/आवेदन

| पासपोर्ट<br><br>साईज फोटो<br>चस्पा करे |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | आवेदक का नाम | ■ | ____________________ |
| 2. | पिता/पति का नाम | ■ | ____________________ |
| 3. | उपनाम/सरनेम | ■ | ____________________ |
| 4. | स्थाई पता (प्रमाण सहित) | ■ | ____________________<br>____________________<br>____________________ |
| 5. | व्यवसाय का पता | ■ | ____________________<br>____________________<br>____________________ |
| | (अ) दूरभाष नं. | ■ | |
| | (ब) मोबाईल नं. | ■ | |
| 6. | शैक्षणिक योग्यता | ■ | ____________________ |
| 7. | आवेदनकर्ता का वर्ग (अजा, अजजा, पि..वर्ग, सामान्य) | ■ | ____________________ |
| 8. | आवेदक/फर्म का नाम/यदि फर्म पार्टनरशिप है तो पार्टनर–शिप फर्म की पूर्ण जानकारी (दस्तावेजों की छायाप्रति सहित) देना अनिवार्य है। | ■ | ____________________<br>____________________<br>____________________ |
| 9. | वर्तमान व्यवसाय | ■ | ____________________ |

10. वर्तमान व्यवसाय का टर्न ओवर (टर्न ओवर प्रमाण पत्र संलग्न करे) ▪ ____________________

11. वित्तीय स्थिति (बैंक खाता नं.) ▪ ____________________

(अ) चल–अचल सम्पति का ब्योरा। - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -

(ब) बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं मे जमा राशि। - - - - - - - - - - - -

12. सुपरस्टाकिस्ट हेतु आवश्यक पूंजी की व्यवस्था। ▪ - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -

नोट– परिवहन दर वास्तविक संचालन व्यय से कम होने पर निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन अमान्य किया जावेगा।

**दिनांक –** ..........................................................

**आवेदक के हस्ताक्षर**

**पूरा नाम** ..................................................

(विपणन मार्ग की जानकारी)
प्रपत्र क्रमांक – 04

## *विपणन मार्ग की जानकारी*

| क्र | मार्ग का विवरण | मार्ग की कुल अनुमानित दूरी किमी में आना–जाना सहित |
|---|---|---|
| 1 | विपणन क्षेत्र जबलपुर शहर –<br>1. महाराजपुर– व्हीकल –कंचनपुर मार्ग ( दूरी 40)<br>2. विजयनगर– ग्रीन सिटी मार्ग ( दूरी 40)<br>3. काँचघर– सिविल लाईन मार्ग (दूरी 50)<br>4. सिटी मार्ग–(दूरी 50)<br>5. मेडिकलमार्ग– (दूरी 60)<br>6. रामपुर–ग्वारीघाटमार्ग–(दूरी 60)<br>7. हाईकोर्ट–भंवरतालमार्ग–(दूरी 50)<br>8. खमारिया–जी.सी.एफ.मार्ग–(दूरी 50)<br>9. पनागर मार्ग–(दूरी 20) | 400 km |
| | | |

## साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ सुपरस्टाकिस्ट सह–परिवहनकर्ता हेतु वित्तीय पत्रक

| क्र. | विवरण | | मार्गो की कुल अनुमानित दुरी किमी में आना–जाना सहित | प्रति लीटर पर परिवहन दर |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **विपणन मार्ग कमांक 1.** से विपणन मार्ग कमांक 9 तक | रू. | 400 KM | |

**नोट** –

1. परिवहन दर वास्तविक संचालन व्यय से कम होने पर निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन अमान्य किया जावेगा।
2. प्रस्तुत दर केवल प्रति लीटर के आधार पर प्रस्तुत की जावे।

**जबलपुरसहकारीदुग्ध संघमर्यादित, जबलपुर**
**पंजीकृतकार्यालय,करौंदा, इमलिया, कटनीरोड, जबलपुर**
**कस्टमरकेयर नंबर–9406900500, E,mail- jdssanchi@gmail.com.**
**jabalpur.sanchi@gmail.com**

क. 487 /जेएसडीईएस/विप.–65/2020 जबलपुर दिनांक 04/12/2020

## सुपर स्टाकिस्ट नियुक्ति हेतु ई निविदा सूचना

जबलपुर शहर में साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थों के सुपर स्टॉकिस्ट सह परिवहनकर्त्ता नियुक्ति के लिये ई–निविदाऐं आमंत्रित की जातीं हैं। इस कार्य में संलग्न इच्छुक फर्म/संस्थाऐं अपनी दरें www.mptenders.gov.in पर दिनांक 28.12.2020 तक प्रस्तुत कर सकते हैं। निविदा प्रपत्र एवं विस्तृत जानकारी एवं नियम व शर्ते दिनांक 07.12.2020 से एम.पी.सी.डी.एफ. की बेबसाईट http://www.mpcdf.govt.in पर देखी एवं निविदा प्रपत्र डाउनलोड किये जा सकते हैं। निविदा प्रपत्र का मूल्य रू. 1000/– एवं धरोहर राशि रू. 100000/– निधारित है जो कि उक्त बेवसाईट पर ऑनलाईन जमा करनी होगी। अन्य जानकारी हेतु जबलपर दुग्ध संघ की विपणन 'शाखा में किसी भी कार्यालयीन दिवस पर कार्यालयीन समय पर संपर्क किया जा सकता है। एक अथवा समस्त निविदाओं को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित होगा।

**मुख्य कार्यपालन अधिकारी**